

मु० न०:- 132/2022

तारीखरज:- 18.7.22

उनवान:- इन्द्राज बनाम प्रमराज
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक 18/7/22 फर्द अहकाम
वादी की ओर से श्री नन्दराम बेरवा एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडामीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडामीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 03.08.2022 को पेश हो।

4416/12
18/7/22

10
0.
6
र
10

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडामीम जिला करौली

3-8-22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप० प्रतिवादी न०।
वर्गा 3 की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा एड० ने
वकायतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे।
वास्ते जबाब दिनांक 25.8.22 को पेश हो।

25-8-22 वादी वकील/वकील उमय प्रसाद उपस्थित
पेटासीन अधिकारी...वा.प्र.का.प. है...व.स.प.चौ.प. है।
पत्रावली गतानुसार दिनांक...29-9-22
को पेश हो।

29-9-22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप० प्रतिवादी वकील
ने जबाब पेश करने के लिए समय चाहा। समय दिया
गया। वास्ते जबाब दिनांक 14.11.22 को पेश हो।

14.11.22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी वकील
ने जबाब पेश करने के लिए समय चाहा। समय
दिया गया। वास्ते जबाब दिनांक 14.12.22 को
पेश हो।

14.12.22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप० प्रतिवादी वकील
ने जबाब पेश करने के लिए समय चाहा। समय
दिया गया। वास्ते जबाब दिनांक 24.1.23 को
पेश हो।



दिनांक	फर्द अहकाम
२३ ^५ / _{२५}	<p>पत्तायकी पैस डूरी/ वाडी रुप वाडीयकीव कोरी भी उपभार नही, वाड भावाका विवाही गरी इसके उपखार भी कोरी भी उपभार नही हुका हुसायस वाडी का उम्ह डाया वापर रक्षणी निषेच्याडा वाडी रुप वाडीयकीव की काडम पैसवी काडम साक्षी मे रक्षणी सिपा जाय है। पत्तायकी पैसवकुमार डेका नम्बर के कम का डीयव उपर है।</p>